अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी(नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्र मीणा आर.ए.एस
प्रार्थनापत्र नम्बर :– 40/2015

प्रार्थीगण :–
1. पुसाराम पुत्र श्री घन्नाराम जाति कुमावत उम्र व्यस्क निवासी ग्राम श्रीनगर
2. तिलोकाराम
3. भैरूराम पिसरान गणेशाराम जाति कुम्हार उम्र व्यस्क निवासी श्रीनगर

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1. श्रीमान भूमिधारी (तहसीलदार) कुचामन सिटी
2. श्रीमान हल्का पटवारी ग्राम हीराणी तह. कुचामन सिटी जिला नागौर

प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 131 तथा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

वकील प्रार्थी :– श्री मो. हनीफ

आदेश **दिनांक** 10/11/2023

प्राथीगण की प्रार्थना–पत्र का सार निम्न प्रकार है।

प्रार्थीगण ग्राम श्रीनगर तहसील कुचामन सिटी के मूल निवासी है और ग्राम श्रीनगर में प्रार्थीगण के खेत एवं आबादी में रहवासी मकानात आये हुये है, प्रार्थीगण द्वारा जनहित में यह आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं, इस हेतु न्यायालय से अनुमति भी प्राप्त कर ली है। मौजा ग्राम श्रीनगर पटवार हल्का हीराणी तह. कुचामन सिटी जिला नागौर में प्रार्थी संख्या 2 व 3 के खेत क्रमशः खसरा नम्बर 1094/617 रकबा 0.62 हैक्टर, एवं खसरा नम्बर 1095/617 रकबा 0.64 हैक्टर खसरा नम्बर 1096/617 रकबा 0.04 हैक्टर कृषि भूमि आयी हुई है और प्रार्थी संख्या 1 का आवासीय मकान खसरा नम्बर 724 रकबा 0.12 हैक्टर में आये हुये है। चालु जमाबदी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। उक्त वर्तमान खसरा नम्बर 1094/617 रकबा 0.62 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 1095/617 रकबा 0.64 हैक्टर खसरा नम्बर 1096/617 रकबा 0.04 खसरा नम्बर 616, 718, 729 के दक्षिण में ओर ग्राम श्रीनगर के खसरा नम्बर 722, 723, 724, 725, 726 की भूमियों के उत्तर दिशा में पूरब से पश्चिम ओर उत्तर से दक्षिण दिशा में जाकर वापस आने हेतु पैदल यान, छकड़ा जीप टेक्टर आदि वाहनों के जरिये आवागमन हेतु चालु जनमार्ग की भूमि

उप[illegible] अधिकारी
कुचामन [illegible] (नागौर)

कदीम से आयी हुई है। प्रार्थीगण एवं ग्राम श्रीनगर के ग्रामीण निवासीयान खसरा नम्बर 722, 723, 724 व 726 की आबादी एवं खसरा नम्बर 1094/617 रकबा 0.62 हैक्टर, एवं खसरा नम्बर 1095/617 रकबा 0.64 हैक्टर खसरा नम्बर 1096/617 रकबा 0.04 की किसानों के लिए उपलब्ध जनमार्ग राजस्व नक्शे में अंकित है जिसका मौके पर नाप राजस्व नक्शे के अनुरूप करीब 815 फीट लम्बा ओर चौडाई करीब 16 फीट है लेकिन क्षेत्र में बीघा के स्थान पर हैक्टर नाप प्रणाली प्रभावशील होने के कारण द्वितीय भू प्रबन्ध के दौरान भू प्रबन्ध अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने गैरमुमकिन रास्ता राजस्व अभिलेख जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस में भूलवश खसरा नम्बर अंकित नही किये गये है। भू राजस्व विलेख एवं दस्तावेज संलग्न है। नक्शा ट्रेस सम्वत 1986–87 में रास्ता दर्ज है यह सब नक्शा ट्रेस के अवलोकन से साफ स्पष्ट होता है उपर्युक्त वर्णित खेत व आबादी भूमि के सुगम एवं सुलभ आवागमन के लिए यही एकमात्र रास्ता आया हुआ है लेकिन राजस्व नक्शे एवं जमाबंदी में सेटलमेंट विभाग की भूल के कारण खसरा संख्या अंकित नही होने के कारण उक्त गैरमुमकिन रास्ता पर पक्की सड़क निर्माण नहीं हो रहा है और इस त्रुटि के कारण पहले से अस्तित्व में आये हुए जनमार्ग से पैदल, छकडों, यान वाहनों के जरिये स्कुल में जाने वाले छात्रों अध्यापकों महिलाओं व व्यक्तियों को काफी बाधाओं व असुविधा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और प्रार्थीगण सहित आमजन काफी क्षुब्ध हो रहे है इसलिए राजस्व अधिकार अभिलेख ओर रजिस्टर की प्रविष्टि को शुद्ध करके उक्त गैरमुमकिन रास्ता के खसरा नम्बर दर्ज करना न्यायोचित है क्योंकि उक्तानुसार राजस्व अधिकार अभिलेख में की गयी त्रुटी को शुद्ध किये जाने के उपरान्त ग्राम के रकबे पर किसी प्रकार का अंतर नहीं आयेगा ना ही वर्तमान जमाबंदी में अंकित अन्य खातेदारों के रकबे में कमी या बढोतरी ही होगी। पूर्व में राजस्व अधिकार अभिलेख में दर्ज उक्त गलत प्रविष्टि का प्रार्थीगण एवं ग्राम वासियों को ईल्म नहीं हुआ हाल ही में उक्त मार्ग पर पक्की सड़क बनवाने के लिए ग्राम सभा में चर्चा की ओर इस रास्ते पर महानरेगा योजना के तहत सड़क निर्माण हेतु पूर्व तैयारी के तहत राजस्व नक्शे व जमाबंदी की नकल लेने पर भू प्रबंध विभाग द्वारा की गयी उक्त अशुद्ध त्रुटि की जानकारी हुई इस कारण भूप्रबन्ध के दौरान हुए उक्त गलत कार्यवाही का इससे पूर्व प्रार्थीगण द्वारा प्रतिकार नहीं कर सके।

अतः आवेदन मय शपथपत्र पेशकर है कि मौजा ग्राम श्रीनगर पटवार मण्डल हीराणी के अधिकार अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में उक्त वर्तमान खसरा नम्बर 1094/617 रकबा 0.62 हैक्टर, एवं खसरा नम्बर 1095/617 रकबा 0.64 हैक्टर खसरा नम्बर 1096/617 रकबा 0.04 खसरा नम्बर 616, 718, 729 के दक्षिण में ओर खसरा नम्बर 722, 723, 724, 725, 726 की भूमियों के उत्तर दिशा में पूरब से पश्चिम ओर उत्तर से दक्षिण दिशा में राजस्व नक्शे के अनुरूप 16 फीट चौड़ा है

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

ओर 815 लम्बाई का खसरा नम्बर की अधिकार अभिलेख व राजस्व नक्शे में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने के आदेश फरमाने की कृपा करावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की सुनवाई हेतु तलबी जारी की गई । दिनांक 15.10.2015 को अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के गैर हाजिर होने पर एक तरफा कार्यवाही की गई। तहसीलदार कुचामन सिटी से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में रिपोर्ट चाही। तहसीलदार कुचामन सिटी ने पत्रांक 2614 दिनांक 06.11.2015 के द्वारा रिपोर्ट भिजवाई। रिपोर्ट शामिल मिशल है। वकील प्रार्थीगण ने बहस सुनाई बहस सुनी बाद बहस प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं संलग्न नक्सा ट्रेस सन 1986–87 खतौनी सम्वत 2012 से 2015 व 2069 से 2072 एवं तहसीलदार कुचामन सिटी की रिपोर्ट आदि का अवलोकन व वकील प्रार्थीगण की बहस का मनन करने पर तहसीलदार कुचामन सिटी ने अपनी रिपोर्ट में खसरा नम्बर 1094/617 , 1095/617, 1096/617 प्रार्थी संख्या 2 व 3 की खातेदारी व खसरा नम्बर 724 प्रार्थी संख्या 1 की बताई तथा खसरा नम्बर 614, 615, 616, 617 के दक्षिण दिशा तथा खसरा नम्बर 724, 725 ,729 के उत्तर दिशा के बीच मे रास्ता नक्शे में व मोके पर है जो वर्तमान में चालु है। जिसका नक्शा अनुसार क्षेत्रफल 0.09 है0 है। खसरा नम्बर 717 ग्राम श्रीनगर के है इसका रकबा 0.09 है0 है जो खसरा नम्बर 716 व 718 के मध्य रास्ते में अंकित है यह खसरा गत खसरा नम्बर 218 से बना है उक्त खसरा नम्बर 717 वांछित रास्ता का नम्बर होना चाहिए आदि की रिपोर्ट पेश शामिल मिशल है। वकिल प्रार्थीगण ने भी अपनी बहस में यही बात बताई। इससे नक्सा ट्रेस 1986–87 में रास्ते के नम्बर खसरा नम्बर 715 एवं 717 दो अंकित होना प्रतीत होता है एवं खसरा नम्बर 717 का रकबा भी प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के अनुसार 0.09 है0 है। नक्शे में एक ही रास्ते के दो खसरा नम्बर अंकित होना प्रतीत होता है रकबा कम बेसी होने का तथ्य सामने नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर ग्राम श्रीनगर के खसरा नम्बर 1094/617 , 1095/617, 1096/617 , 616, 718, 719 के दक्षिण में और खसरा नम्बर 722 ता 726 के उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण की दिशा में यानी करीब 0.09 है0 का तहसीलदार कुचामन सिटी की रिपोर्ट में बताये अनुसार राजस्व नक्शे में रास्ते के खसरा नम्बर की शुद्ध प्रविष्टी दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार कुचामन सिटी को आदेश की पालना हेतु प्रति भिजवाई जावे। मिशल नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)